UPAU010011002025

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, औरैया।

उपस्थितः– मयंक चौहान (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O. Code U.P. 2011)

दीवानी पुनरीक्षण संख्या–01/2025

1–श्रीमती रामश्री पत्नी स्व0 रामप्रकाश निवासिनी मुहल्ला नरायनपुर औरैया परगना व जिला औरैया।
2–श्रीमती शीला पुत्री स्व0 रामप्रकाश पत्नी गौरी शंकर निवासिनी सिकन्दरा, कानपुर देहात।
3–श्रीमती रीमा पुत्री स्व0 रामप्रकाश पत्नी सहवीर सिंह निवासिनी ग्राम मिलख परगना व जिला औरैया।
4–रंजीत कुमार पुत्र स्व0 रामप्रकाश
5–अन्जीत कुमार पुत्र स्व0 रामप्रकाश
निवासीगण मुहल्ला नरायनपुर औरैया परगना व जिला औरैया।

.....पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1–दीवान सिंह उर्फ मान सिंह पुत्र स्व0 जग्गीलाल
2–राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू पुत्र सुदर्शन
3–श्रीमती लक्ष्मी पत्नी राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू
निवासीगण मुहल्ला नरायनपुर परगना व जिला औरैया।

.....उत्तरदातागण।

निर्णय

1– प्रस्तुत दीवानी पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा वाद संख्या 101/2000, रामप्रकाश आदि बनाम दीवान सिंह आदि के मामले में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), औरैया के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.01.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा सम्बन्धित न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध आदेश दिनांकित 06.01.2024 अपास्त करते हुए प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 141ग, 1,000/–रुपये हर्जे पर स्वीकार किया गया है।

2– संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है। एकपक्षीय आदेश दिनांक 06.01.2024 रिकॉल कर अपास्त किये जाने के सन्दर्भ में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र 135ग व शपथ पत्र 136ग व प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2024 को प्रस्तुत किया गया था। उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा पूर्व में दो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त प्रार्थनापत्र में अंकित उचित कारण व प्रार्थनापत्र 141ग में अंकित उचित कारण एक ही हैं, तो विधिक रूप से प्रार्थनापत्र 141ग में अंकित उचित कारण पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकाता है। सम्बन्धित न्यायालय ने प्रार्थनापत्र 141ग स्वीकार किये जाते समय पुनरीक्षकर्ता की आपत्ति का निष्कर्ष निकाल कर आदेश पारित नहीं किया है, जबकि प्रार्थनापत्र 141ग के निस्तारण के समय आपत्तियों के निष्कर्ष को आदेश में शामिल नहीं किया और न ही

Digitally signed by MAYANK CHAUHAN
Date: 2026.03.17 15:42:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कोई फाइण्डिक दी है। उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 141ग में यह तथ्य अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 3 की पैरवी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा की जा रही है, वही पैरोकार है, जबकि न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को जो नोटिस प्रेषित किये जाते हैं,उसको प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नोटिस लेने से इन्कार किया जाता है, तो विधिक रूप से यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 3 की पैरवी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नहीं की जा रही है। इस तथ्य को न्यायालय के समक्ष अवगत कराया गया था, लेकिन सम्बन्धित ने अपने आदेश में शामिल नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ दिनाक 06.01.2024 को एक पक्षीय आदेश पारित होने के पूर्व दिनांक 23.09.2022 को श्री प्रेमशंकर मिश्रा एडवोकेट द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 जो कि मूलवाद में प्रतिवादी संख्या 2 है, राजेन्द्र सिंह का वकालतनामा दाखिल किया गया है, जिस राजू कुशवाहा अंकित है, इससे स्पष्ट है कि उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा कभी भी उत्तरदाता संख्या 3 की पैरवी नहीं की गयी। अतः पुनरीक्षणकर्तागण का पुनरीक्षण स्वीकार किया जाकर सम्बन्धित न्यायालय का आदेश दिनांकित 27.01.2025 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

3— उत्तरदातागण की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

4— पुनरीक्षण के निस्तारण के लिए आवश्यक सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरदाता/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 141ग इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि वह उपरोक्त वाद में प्रतिवादिनी संख्या 3 है। प्रतिवादी संख्या 2 उसके पति है और वह ही इस मुकदमें में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की तरफ से पैरवी करते हैं एवं उपरोक्त वाद में जो बयान तहरीरी व मजीद बयान तहरीरी दाखिल हुई है, वह सम्मलित रूप से है। उपरोक्त वाद में दिनांक 10.10.2024 को वादीगण का प्रार्थनापत्र संशोधन वादपत्र स्वीकार होकर प्रतिवादीगण को मजीद बयान तहरीरी का अवसर मिला, जिसके अनुपालन में उसने प्रतिवादी संख्या 2 के साथ पुनः मजीद बयान तहरीरी दाखिल की, इसी बीच उसके वकील को जानकारी हई कि उपरोक्त वाद में दिनाक 06.01.2024 को उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश हो गया, फलस्वरूप उसकी तरफ से दिनांक 05.12.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही समाप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया, जिसके समर्थन में उसके पति प्रतिवादी संख्या 2 ने शपथपत्र दिया। तत्पश्चात् दिनांक 09.12.2024 को सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उसको न्यायालय में बुलाया गया और आदेश पत्र पर हस्ताक्षर कराये गये। दिनांक 09.12.2024 को वह अस्वस्थ थी, उसे हस्ताक्षर करने में फालिश की वजह से दिक्कत हो रही थी। वह आज स्वस्थ है और स्वयं यह प्रार्थनापत्र व शपथपत्र हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करा रही है। न्यायालय चाहे तो आज उसके हस्ताक्षर आदेश पत्र पर करा ले, वह हस्ताक्षर करने को तैयार है। उपरोक्त वाद में संयुक्त रूप से सभी जबाव दाखिल हैं, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह अपने अपने पति, जो पैरोकार मुकदमा है, पर विश्वास करके पूर्व में कागजात पर हस्ताक्षर करके दे दिये थे, जिनको उन्होंने सभी जबावों में इस्तेमाल किया है और पत्रावली पर सभी जबावों व वकालतनामों में उसके हस्ताक्षर हैं। उसे स्वीकार है सभी हस्ताक्षर उसके हैं। दिनांक 06.01.2024 को जब प्रतिवादी संख्या 2 जो कि

उसका पति एवं पैरोकार है, हाजिर था एवं जवाब संयुक्त लगा है, तो फिर कानूनन उसके खिलाफ एक पक्षीय आदेश नहीं होना चाहिये था, लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय उपस्थित प्रतिवादी संख्या 2 व उनके वकील की भूल एवं गलतफहमी से उक्त आदेश हो गया अलावा इसके दिनांक 10.10.2024 के बाद संशोधन होने के कारण पुनः प्रतिवादीगण को अतिरिक्त जबाव का अवसर मिला कि जिस क्रम में उसने जवाब दाखिल किया, जो सही है। फिर भी आदेश दिनांक 06.01.2024 के सम्बन्ध में वह यह प्रार्थनापत्र देकर निवेदन करती है कि उपरोक्त परिस्थितियों में आदेश दिनांक 06.01.2024 रिकाल किया समाप्त किया जाना जरूरी है, अन्यथा प्रार्थिनी की अशोधनीय क्षति होगी। अतः उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर आदेश दिनांक 06.01.2024 रिकॉल कर समाप्त किये जाने की एवं मजीद ब्यान तहरीरी रिकार्ड पर लिया जाकर मुकदमे की सुनवाई गुणदोष पर किये जाने की याचना की गयी है।

5– वादीगण/पुनरीक्षकर्तागण द्वारा प्रार्थना–141ग के विरुद्ध इस आशय आपत्ति 143ग प्रस्तुत की गयी है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में जो कारण एक पक्षीय आदेश दिनांक 06.01.2024 रिकॉल कर अपास्त किये जाने के सम्बंध में अंकित किया है, वह कारण विधिक नहीं है, पत्रावली के विपरीत है और विधि के अन्तर्गत पोषणीय नही है। उक्त प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्य तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 2 की ओर से पूर्व प्रार्थनापत्र में अंकित एक पक्षीय आदेश दिनांक 06.01.2024 को अपास्त किये जाने का जो कारण अंकित किया है, उक्त कारण व इस प्रार्थनापत्र में दिये गये कारण विरोधाभाषी हैं। आदेश दिनांक 06.01.2024 रिकॉल किये जाने का प्रार्थनापत्र पर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अंकित हस्ताक्षर व प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा पर हस्ताक्षर में भिन्नता। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में यह तथ्य अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 के साथ अतिरिक्त उत्तरपत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त उत्तरपत्र में हस्ताक्षर प्रतिवादी संख्या 3 के नहीं और अतिरिक्त उत्तरपत्र में अंकित हस्ताक्षर व इस प्रार्थनापत्र व शपथपत्र में अंकित हस्ताक्षर प्रतिवादी संख्या 3 में भिन्नता है। पत्रावली पर उपलब्ध वकालतनामा दिनांक 23.11.2024 व प्रार्थनापत्र दिनांक 05.12.2024 व प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त प्रार्थना पत्रों पर फर्जी हस्ताक्षरित प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा की गयी है, जो कि स्पष्ट रूप से प्रार्थनापत्र में अंकित है। एक पक्षीय आदेश दिनांक 06.01.2024 रिकॉल कर अपास्त किये जाने हेतु बहैसियत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, जिस पर न्यायालय द्वारा विचार नही किया गया है। इस विधिक आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 के पैरोकार प्रतिवादी संख्या 2 नहीं है। अतः उक्त आधारों पर एक पक्षीय आदेश को रिकॉल किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6– विद्वान सम्बन्धित न्यायालय ने उत्तरदाता/प्रतिवादी संख्या 3 के उक्त प्रार्थना पत्र 141ग व उसके विरुद्ध आयी आपत्ति 143ग पर सुनवाई करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त प्रार्थना–पत्र 141ग प्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.01.2025, अंकन 1,000/– हर्जे

पर स्वीकार किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह दीवानी पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्तागण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

7— उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

8— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से आदेश दिनांकित 06.01.2024 को रिकॉल किये जाने एवं दाखिल मजीद बयान तहरीरी रिकॉर्ड पर लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 141ग स्वीकार किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर वादीगण/पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा यह दीवानी पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त है कि समस्त पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को अपनाते हुए प्रतिवादी संख्या 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पत्रावली में पुनरीक्षणकर्तागण/वादीगण द्वारा वाद पत्र में संशोधन हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने उपरान्त पत्रावली अग्रिम आदेश में नियत है। अतः वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस मत का है कि विद्वान सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 27.01.2025 विधि सम्मत एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के उपरान्त न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए विधिपूर्ण तरीके से पारित किया गया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार दीवानी पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दीवानी पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है। सम्बन्धित न्यायालय की मूल पत्रावली इस निर्णय की एक प्रति के साथ सम्बन्धित न्यायालय को वापस भेजी जाये।

पुनरीक्षण की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जाये।

दिनांक—17.03.2026

(मयंक चौहान)
जनपद न्यायाधीश,
औरैया।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक—17.03.2026

(मयंक चौहान)
जनपद न्यायाधीश,
औरैया।